सरल कानूनी ज्ञान माला - 34

विधिक साक्षरता - कानून की जानकारी

(लेखकः-प्रशान्त जोशी, सदस्य-सचिव
टंकण- रवि कुमार, आशुलिपिक)

जीवन में कुछ चीजों की मौजूदगी हम खुद-ब-खुद मानकर चलते है और कानून उनमें से एक है। प्रातः बिस्तर छोड़ने से लेकर रात्रि ञ्जायन से पूर्व जाने-अनजाने हमें कई कानूनों एवं नियमों का सामना करना पडता है। जैसे कि संविदा विधि, उपभोक्ता कानून, बैंक सम्बन्धी विधि, यातायात के नियम एवं कानून, रोजगार, किराया, श्रमिक व संपति सम्बन्धी कानून आदि।

कानून साधारण भाषा में वह नियम है जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु लिपिबद्ध किये गये हैं। जीवन में जटिलतायें बढ़ रही है और कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस बाबत् कानून नहीं बनाया गया हो। भारत वर्ष में विविध विषयों पर अधिनियम, नियम और विनियमों की भरमार है तथा कानून बनाने की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है।

माना जाता है कि हर नागरिक को कानून की जानकारी है, परन्तु सत्य यह है कि कानून बहुत व्यापक है और उसे समझना कठिन है और उसकी भाषा जटिल है। बी0ए0 करने के बाद व्यक्ति जब कानून की डिग्री हेतु आवेदन करता है तभी उसे कानून के बाबत् जानकारी रखने का प्रथम अवसर मिलता है। स्थिति यह है कि कानून बनाने के पीछे मन ईच्छा जन-उत्थान की होती है परन्तु जिस समाज या विषय पर कानून बनाया जाता है उसकी जानकारी उस वर्ग को नहीं हो पाती है जिनको लाभान्वित करने व जिनके हित के लिए कानून बनाया जाता है। ऐसे में कानून बनाना व्यर्थ हो जाता है और कानून केवल कागजी शेर बन कर रह जाते हैं। उदाहरण हेतु बच्चों के संरक्षण, महिलाओं के संरक्षण व कैदियों के संरक्षण तथा समाज के पिछड़े व पीडित वर्ग विशेष के संरक्षण हेतु बने इन कानूनों का उक्त वर्ग विशेष को भी ज्ञान नहीं है। कहा जाता है कि भारत में कानून का राज है परन्तु कानून की जानकारी अधिकांश लोगों को न हो पाने के कारण कानून के राज की धारणा मात्र कोरी कल्पना बनकर रह जाती है। हमारे देश में संसद और राज्य विधान मण्डल सैकडों कानून बनाते हैं, परन्तु सत्य है कि वकील और जज/मजिस्ट्रेट, जो कि रोज कानून से वास्ता रखते हैं भी इन ज्यादातर कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, परन्तु वे जानते है कि जरुरत पड़ने पर कानून को कहां देखा जाये। इसलिए कानून की सामान्य जानकारी रखना सभ्य समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

विधिक सेवा योजना और कार्यक्रम- क्यों, कैसे एवम् किसके लिए ?

भारतीय संविधान में यह अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हो। इस हेतु सरकार विभिन्न कानून बनाती आ रही है। अपेक्षित लाभ न मिलने पर और संविधान की मन-ईच्छा को मूर्त रुप देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक कमजोरी या असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित ना रहे। इस अनुच्छेद द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उपयुक्त विधान या योजना द्वारा सामाजिक न्याय को प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। अर्थात् राज्य का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि विधि ा तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सर्वजन् को सुलभ होवें।

इसी उद्देश्य से आम जनता के हित को सुरक्षित रखने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का कानून बनाया गया है और इस अधिनियम के द्वारा असहाय व निर्बल वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विधिक सेवा के जन-उपयोगी कार्यक्रम को सफल व प्रभावशाली बनाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा), उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति गठित किए गये हैं। इन जनहितकारी सरकारी संस्थाओं का एक मात्र जनहित उद्देश्य है ''न्याय सबके लिए''। ये संस्थायें उस प्राचीन परम्परा के निर्वाहन के लिये सृजित की गयी हैं जिसमें कहा गया है।

''सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,

माँ कश्चद् दुख भागभवेत।''

नैसर्गिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को अपने पक्ष को रखने का युक्तिसंगत व पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह तभी प्रभावी हो सकता है जब पक्षकार ऐसा करने में पूर्ण रुप से समर्थ होवे। अर्थात् उसकी कोई निर्योग्ता उसे न्याय प्राप्ति से वंचित न कर सके।

न्याय का दूसरा सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि विधि की अनभिज्ञता की दलील न्यायालय के समक्ष ग्राह्य नही है। परन्तु, क्या हर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रचलित विधियों की जानकारी रखता है- उत्तर स्पष्ट है नहीं। अन्यथा भी यह अपेक्षा नही की जा सकती है कि हर व्यक्ति हर कानून की जानकारी रखे, परन्तु यह अपेक्षित है कि हर व्यक्ति को उस कानून की जानकारी हो, जिसकी उसे दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में आवश्यकता होती है।

तीसरा विधि का महत्तपूर्ण सिद्धान्त है न्याय में विलम्ब अन्याय के समान है। न्याय प्राप्ति में विलम्ब को वर्तमान परिपेक्ष्य में न्याय प्राप्ति के पक्ष में सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। पक्षकार यदि जागरुक है और उसे अपने हित व अधिकारों का ज्ञान भी है तो नि:सन्देह वह न्याय प्राप्ति की लड़ाई अविलम्ब जीत सकता है।

उपरोक्त तीन सिद्धान्त यह व्यक्त करते हैं कि हर व्यक्ति का कानून के प्रति जागरुक होना आवश्यक है, अन्यथा न्याय प्राप्ति की लड़ाई कठीन होगी।

सभ्य समाज में यदि कोई नागरिक अपनी आर्थिक व सामाजिक असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंछित रह जाये तो यह समाज के लिए कलंक है परन्तु कानून की जानकारी का अभाव और न्याय प्राप्ति में विलम्ब एक कटु सत्य है और न्यायिक सुधार विषय का एक अहम बिन्दु है। पिछले कुछ वर्षो से अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों का आंकड़ा पार कर गई है। इसके निदान हेतु वर्तमान में न्याय प्रदान करने का कार्य अर्ह न्यायिक संस्थाओं को देने की पहल ने जोर पकड़ लिया है। सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय की मांग भी जोर पकड़ रही है। अंग्रेजो की बनायी प्रक्रियात्मक विधि से विलम्ब होना स्वाभाविक मानते हुये पहल उठी है कि विधि ात: मान्य लोक अदालत, मध्यस्थता एवं सुलह-समझौता आदि के माध्यम से अविलम्ब, सस्ता व सरलता से न्याय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो और जनसामान्य न्याय की इस वैकल्पिक व्यवस्था का लाभ उठा सकें। इस हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर, जनसामान्य में जागरुकता लायी जा रही है, ताकि न्याय तंत्र का उपयोग केवल धनी और सशक्त व्यक्ति तक सीमित न रहे और न्याय व्यवस्था आम आदमी को भी सुलभ हो यही विधिक सेवा प्राधिकरण का ध्येय एवं संकल्प है।

अधिवक्ता न्याय दिलाने का महत्तवपूर्ण माध्यम है अतैव जन-जन तक कानून का ज्ञान पहुंचाने में अधिवक्ता की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं कानून की जानकारी के प्रचार-प्रसार की व्यापक आवश्यकता है। इस हेतु समाजसेवी संस्थाओं और शासन-प्रशासन का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। अतैव विधिक सेवा प्राधि ाकरण, अधिवक्तागण, समाज सेवक, मिडिया तथा शासन-प्रशासन आदि की सहभागिता से सर्वजन् को न्याय सरल, सुलभ और त्वरित दिलाये जाने हेतु प्रयासरत् है। न्याय सबके लिए ध्येय प्राप्ति हेतु गठित सरकारी संस्थाओं की कार्यविधि और उनके संचालन का विवरण निम्नवत् है:-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाालसा)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि एक केन्द्रीय संस्था है, के मुख्य संरक्षक, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम् न्यायालय व कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्चतम् न्यायालय होते हैं। यह संस्था सम्पूर्ण भारत वर्ष में विधिक सहायता कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करती है, मार्गदर्शन करती है और इन कार्यक्रमों हेतु धन उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय 12/11 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रणाधीन सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्थापित की गयी है। जिसके अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तथा सचिव उच्चतर न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है। उक्त समिति केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का कार्यालय 109, लॉयर्स चैम्बर्स, पोस्ट ऑफिस विंग, सर्वोच्च न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में स्थित है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

<u>राज्य प्राधिकरण का इतिहास</u>:- राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय होते

हैं एवं कार्यपालक अध्यक्ष, कार्यवाहक मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं तथा उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को सदस्य-सचिव के रुप में नियुक्त किया जाता है। मा0 मुख्य संरक्षक के कुशल दिशा-निर्देश व मा0 कार्यपालक अध्यक्ष महोदय की छत्रछाया में राज्य प्राधिकरण विधिक सेवा के कार्यक्रमों को आयाम प्रदान करता है। विधिक सेवा कार्यक्रमों की सफलता हेतु जनसामान्य, शासन, प्रशासन आदि के अपेक्षित सहयोग से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों, कार्यक्रमों तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन उपरान्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन वर्ष 2002 में किया गया। उस समय उक्त कार्यालय नैनीताल उच्च न्यायालय स्थित था। तद्उपरान्त् उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण जनपद नैनीताल से जनपद देहरादून किया गया। जनपद देहरादून में उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण समय-समय पर होता रहा तथा वर्ष 2008 को उक्त कार्यालय पुन: मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थानान्तिरत किया गया।

राज्य प्राधिकरण के कतिपय मुख्य उद्देश्य एवं गतिविधियाँ

(क) पात्रतानुसार, पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सलाह/सहायता व नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदान कराना, ताकि जनसामान्य को सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय मिल सकें।

(ख) लोक अदालतों का आयोजन करना जिसमें न्यायालय में दायर किये जाने से पूर्व के मामलों तथा न्यायालय में विचाराधीन मामलों का विधिसम्मत्, त्वरित एवम् सुलभ न्याय सुनिश्चित कराना।

(ग) जनसामान्य को उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरुक करने हेतु विधिक ज्ञान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने बाबत् निवारक एवं अनुकूलन विधिक साक्षरता कार्यक्रमों/शिविरों का संचालन करना।

(घ) सरल एवं सजग भाषा में लिपिबद्ध विधि सम्बन्धी पुस्तकों/पम्पलैट्स इत्यादि का जनसामान्य को नि:शुल्क वितरण करना, ताकि जनसामान्य अपने दैनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो सकें।

(ङ) पारिवारिक विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने हेतु परामर्श एवं सुलह-समझौता केन्द्रों की स्थापना करना।

(च) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

(छ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता सम्बन्धी शिकायतों को दर्ज कर उनका सर्वसम्बन्धित के माध्यम से उन्मूलन करना।

(ज) जनसामान्य की शासन-प्रशासन के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को अग्रसारित कर समयबद्ध रुप से विधिसम्मत् समाधान कराना।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तथा सचिव, उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी होता है। उक्त समिति, केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, उच्च न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का कार्यालय माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित है जिसके सचिव वर्तमान में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबन्धक महोदय हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन जिला न्यायालय स्तर पर प्रत्येक जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जनपद के जनपद न्यायाधीश होते हैं तथा सचिव, सिविल जज (एस0डी0)/सी0जे0एम0 न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी होता है। उक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, जिला न्यायालय के मामलों के

लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय जिला न्यायालय परिसर में ही स्थित होता है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड के हर जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किये गये हैं।

तहसील विधिक सेवा समिति

राज्य प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। सम्बन्धित तहसील में तैनात ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रुप में कार्य करता है और कनिष्ठतम अधिकारी सचिव के रुप में कार्य करता है। उक्त तहसील समितियां राज्य एवं जिला प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, तहसील न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं। तहसील विधिक सेवा समिति का कार्यालय तहसील परिसर में ही स्थित होता है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड के अधिकत: तहसीलों में तहसील विधिक सेवा समिति गठित है और कार्य कर रही है।

नि:शुल्क विधिक सेवा के लिए हक व पात्रता

प्रत्येक व्यक्ति, जिनसे सम्बन्धित कोई मामला न्यायालय में योजित करना है या योजित कर दिया गया है या किसी मामले में बचाव करना है, अधिनियम/नियम के अधीन, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति से, नि:शुल्क विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसे व्यक्ति:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिलायें एंव बच्चे,
4. सभी विकलांग एंव मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एंव भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एंव मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति,
8. भूतपूर्व सैनिक,
9. ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000/-(एक लाख रुपये) रुपये से कम हो,

नोट:- क्रम संख्या-1 से 8 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

जनसामान्य के हित में सृजित कुछ कानून

1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

3 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

4 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

5 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

6 नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009

7 मोटर वाहन अधिनियम, 1939

8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

9 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न एवं छुआछूत निवारण) अधिनियम, 1989

10 दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 1961

11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

12 बाल श्रम (प्रतिशोध और विनियमन) अधिनियम, 1986

13 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

14 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम–1882

15 भारतीय संविदा अधिनियम–1872

16 उत्तराधिकार अधिनियम–1956

17 भारतीय वन अधिनियम–1927

18 रैगिंग के विरुद्ध दिशा–निर्देश

जनहितार्थ प्रचलित कुछ सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाएं

1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

2 दीनदयाल विकलांग पुर्नवास योजना।

3 अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाएं/कार्यक्रम

4 अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाएं/कार्यक्रम

5 पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनायें

6 विकलांगजनों के कल्याणार्थ संचालित कार्यक्रम

7 सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण के अन्तर्गत प्रमुख योजनायें

8 अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम

9 गौरादेवी कन्याधन योजना

10 इन्दिरा आवास योजना

11 अटल आवास योजना

नोट:– जनसामान्य से सम्बन्धित सरल भाषा में लिपिबद्ध ''सरल कानूनी ज्ञान माला'' पुस्तकें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नि:शुल्क उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र

01 सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

कार्यालय : 05942-236762, 236552 फैक्स : 05942-236552

02 सचिव

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल। कार्यालय : 05942-232085 फैक्स : 05942-237721

03 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा

कार्यालय : 05962-231105

04 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर

कार्यालय : 05963-221844

05 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली

कार्यालय : 01372-251529

06 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत

कार्यालय : 05965-211202

07 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार

कार्यालय : 01334-239780

08 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून

कार्यालय : 0135-520873

09 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

कार्यालय : 05942-237159

10 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पोड़ी गढ़वाल

कार्यालय : 01368-221815

11 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़

कार्यालय : 05964-228322

12 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग

कार्यालय : 01364-233796

13 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल

कार्यालय : 01376-233424

14 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंह नगर

कार्यालय : 05944-250682

15 अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी

कार्यालय : 01374-226557

लेखकः-प्रशान्त जोशी, सदस्य-सचिव

टंकण- रवि कुमार, आशुलिपिक

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -